



अधिसूचना

एतद्वारा समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम/विषय सम्बन्धी सम्बद्धता की पत्रावलियों विस्तरण हेतु अनावरत वर्षों से चली आ रही है। उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय अधिनियम 2014 की धारा 37 (2) के तहत सम्बद्धता प्रदान करते समय निर्गत पत्र में क्रम सं०-1 से 13 तक में विभिन्न निर्धारित शर्तें पूर्ण करने हेतु तीन वर्ष का समय प्रदान किया गया है परन्तु सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा स्थायी सम्बद्धता हेतु कमियों को पूर्ण करने की जगह लगातार विस्तरण कराया जा रहा है जो कि उचित नहीं है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार पाठ्यक्रम/विषय सम्बद्धता का विस्तरण तीन वर्षों से अधिक देय नहीं होगा। अतः स्थायी सम्बद्धता हेतु निर्धारित कमियों को दूर करें, अन्यथा सम्बद्धता विस्तरण दिया जाना संभव नहीं है।

भवदीय

सहायक कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।